

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 117/2022

निर्णय दिनांक :- 19.04.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. अम्बालाल पुत्र नन्दराम जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. कन्हैयालाल पुत्र छीतरलाल जाति रेगर निवसी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. जयप्रकाश पुत्र प्रभूलाल ठागरिया जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. प्रभूलाल पुत्र प्रताप राम ठागरिया जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रमेश कुमार पुत्र धन्नालाल गण्डवाल जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सत्येन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल बदलोटिया जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष-


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 1506 खसरा नम्बर 5551/2977 रकबा 0.12 एवं खाता संख्या 1770 खसरा नम्बर 5690/2977 रकबा 0.85 है0 ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में अंकित आराजी खाता संख्या 1506 खसरा नम्बर 5551/2977 रकबा 0.12 एवं खाता संख्या 1770 खसरा नम्बर 5690/2977 रकबा 0.85 है0 ग्राम देवलीगांव की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है


(भारत भूषण गौयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली